भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 729
02 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में वाणिज्यिक गतिविधियां

729. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों में दुकानें/डिपार्टमेंटल स्टोर आदि खोलने जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु अनुमति देने के लिए कोई नियम बनाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो उसके आधार और मानदंड क्या है;
(ग) क्या सरकार पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में दुकानें/डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों से अवगत है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने नियमानुसार निर्माण के संदर्भ में कोई सर्वे पूरा किया है; और
(ड.) यदि हां, तो इन वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से डीडीए नगर निगम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा अर्जित राजस्व संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): जी, हाँ। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी-2021) के अध्याय 4 (आश्रय) के अनुसार , आवासीय प्लॉट- आवासीय समूह में निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति है:

"आवासीय फ्लैट में मास्टर प्लान प्रावधानों के अनुसार मिश्रित उपयोग की गतिविधियां- कन्फेक्शनरी, किराना और सामान्य व्यापार, पुस्तकें और लेखन सामग्री, केमिस्ट, नाई, लॉन्ड्री,

दर्जी, सब्जी की खुदरा दुकानें (भूतल पर प्रत्येक दुकान के लिए 20 वर्गमीटर तक का क्षेत्र), सामुदायिक कक्ष, सोसायटी कार्यालय, शिशु सदन/डे केयर सेंटर, धार्मिक, वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन कक्ष, स्विमिंग पूल" आदि की अनुमति दी गई है।

एमपीडी-2021 के अध्याय 15 (मिश्रित उपयोग विनियम) के अनुसार, जो आवासीय क्षेत्र में गैर-आवासीय गतिविधि के लिए मानदंड निर्धारित करता है, आवासीय समूह के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था की गई है:

"पैरा 15.6.3 के अनुसार केवल व्यावसायिक गतिविधि और छोटी दुकानों की अनुमति होगी। आवासीय समूह की लेआउट योजना में विशेष रूप से प्रदान की गई खुदरा दुकानों की ही अनुमति होगी। तथापि, डीडीए फ्लैटों के पूरे भूतल पर मिश्रित उपयोग/ वाणिज्यिक उपयोग वाले क्षेत्रों/खंडों/सड़कों के ही मिश्रित उपयोग/ वाणिज्यिक उपयोग के लिए अनुमति दी गई है, जैसा कि दिनांक 12.08.2008 के एस.ओ. 2034 (ई) द्वारा अधिसूचित किया गया है। जबकि 25.09.2013 से केवल अधिकतम 20 वर्गमीटर आकार की खुदरा दुकान की अनुमति दी गई है और शेष क्षेत्र का उपयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा सकता है। दो या दो से अधिक डीडीए फ्लैटों के समामेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

(ग): डीडीए द्वारा आवासीय समूह सोसाइटी के भीतर ऐसी कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं की गई है।

(घ) और (ड): उपरोक्त पैरा (ग) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं है ।